श्री जगजीवनराम : इन्होंने एक प्रश्न यह किया कि चीनी बनाने में किस किस मद में क्या खर्च होता है तो उसके लिए तो फारमूला बना हुआ है, सेन कमीशन का भी फारमूला है और टैरिफ कमीशन ने भी देखा है इस चीज को तो उस के लिए तो मैं सदस्य महोदय को राय दूंगा कि सदन की लाइब्रेरी में सेन कमीशन की रिपोर्ट होगी, उस को देख लें तो विस्तार में मालूम हो जायेगा कि किस-किस मद में क्या खर्चा होता है ।

जहां तक ये दूसरी बात रही, मैंने खुद अपने जवाब में बताया है कि इस साल जो कारखानों के मालिक यह समझ रहे है कि चीनी का दाम बहुत नीचे चला जायगा और उसके आधार पर गन्ने का दाम देना चाहते हैं यह मुनासिब नहीं है । अगर इन्होंने मेरे जवाब को सुना होता तो इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया है और इसके लिए कहा है कि जो हम ने न्यूनतम दाम निर्धारित किए हैं उस से अधिक दाम गन्ने का फैक्ट्रीज दे सकती हैं और देना चाहिए ।

SHRI S. KANDU (Balasore): Sir, before you go on to the next item on the agenda, I request that you may be pleased to allow some time for discussing this topic. There is a lot of things to say; it is a very important topic.

MR. SPEAKER: I cannot assure anything now; I cannot promise anything when anything is raised on the floor of the House by surprise. A request may be made and I can consider it.

12.53 hrs.

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: Now, the point is, yesterday, Shri George Fernandes raised a question of privilege about the arrest of Shri Madhu Limaye and I heard him, and then I said that I would like to call on the Home Minister to make a statement about it later on. Now that Shri Madhu Limaye is here, and since he has expressed a desire that he would like to place certain facts before the House, I permit him to do so.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, खुदा का शुक्र है कि अब तक गृह मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को बरखास्त करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाये हैं और इसीलिए आज मैं आप की खिदमत में हाजिर हो सका हूं । ......(**व्यवधान**) .... अरे, ताला लगा दिया था 15 दिन तक हमारी जबान पर, अब तो सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय..........(**व्यवधान**)....

सभी सार्वभौम देशों में जहां-जहां संसदीय प्रणालियां हैं पार्लियामेंट को, उन की कमेटियों को और उन के सदस्यों को कुछ अधिकार, कुछ संरक्षण, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं । हमारे देश में भी जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने भी इस सदन के लिए, सदन की कमेटियों के लिए और सदस्यों के लिए संविधान की धारा 105 (1), (2), (3) आदि के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए । इन विशेषाधिकारों का जब भंग होता है तो इस को समूचे सदन की मान-हानि का सवाल मान कर उठाया जाता है । आज मैं आप के सामने विरोधी दल के सदस्य या समाजवादी दल के सदस्य के नाते नहीं बोल रहा हूं । मैं इस सदन के एक साधारण सदस्य के नाते बोल रहा हूं और आप के मार्फत, सदन नेता यहां बैठी हैं, सदन के दूसरे माननीय सदस्य हैं, उन को मैं अपील करना चाहता हूं कि 15 दिन तक मुझे इस संसद् की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित किया गया यह बड़ा अन्याय हुआ उसको वे देखें । मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं रखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता उसका एक ही हिस्सा मैं आप को पढ़ कर सुनाऊंगा । यह पृष्ठ 120 और 121 पर है :

> *"Obstructing members of either House in the discharge of their duty.*

[श्री मधु लिमये]

Arrest of members.

It is a coutempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a member of the House of commons during a session of Parliament or during the forty days preceding, or the forty days following a session.

The privilege of freedom from aarest does not extend to criminal charges and upon the same principle, the internment of a member under regulations enabling the Home Secretary to detain persons in the interests of public safety or the defence of the realm has been held not to constitute a breach of privilege.

Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information of the imprisonment or detention of any member, with the reason for which he is detained. The failure of a judge or magistrate to inform the House of the commital to prison of member on a criminal charge or for a criminal offence, would, therefore, constitute a breach of privilege."

अध्यक्ष महोदय, इस बात को सफाई से रखने के लिए इतना हिस्सा काफी है और इस में दो विशेषाधिकार के और दो मानहानि के सवाल उठ सकते हैं। अगर कोई जुर्म नहीं है, अगर कोई इल्जाम नहीं है जिस को क्रिमिनल चार्ज कहते हैं तो वह विशेषाधिकार का भंग है और जब वह होता है तो समूचे सदन को मानहानि का सवाल उस को माना जाता है।

13 hrs.

दूसरा विशेषाधिकार का भंग यह हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट किसी भी सदस्य को गिरफ्तार करेगा या जेल देगा, उस को इस सदन को इत्तिला देनी चाहिये और यदि तत्काल और तुरन्त वह इत्तिला नहीं देता है तो वह भी विशेषाधिकार का भंग माना गया है तथा उसके लिए अनुशासन की कार्यवाही रखी गई है। हमारी इस सभा ने भी इस के लिये नियम बनाया है। मैं आपका ध्यान नियम सं० 229 की ओर खींचना चाहता हूं—इस सदन को कैसे पता चलेगा कि किसी सदस्य को क्रिमिनल चार्ज को लेकर गिरफ्तार किया गया है या किसी दूसरे कारण को लेकर गिरफ्तार किया गया है—उस के लिए इस सदन ने नियम सं0 229 बनाया है, जिसके तहत हम लोगों का तुरन्त इत्तिला देने की कार्यवाही की जाती है। इस नियम का नाम है—

Intimation to Speaker by Magistrate of arrest, detention etc. of a member.

यह नियम इस प्रकार है —

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule."

थर्ड शैडयूल में ए, बी, सी है, लेकिन इस में केवल ए लागू होता है, इस लिए मैं सिर्फ ए पढ़ता हूं—

"I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section...... of the ......(Act), to direct that Shri.............. Member of the Lok Sabha, be arrested|detained for...... (reasons for the arrest or detention, as the case may be).

Shri ...., M.P. was accordingly arrested|taken into custody at...... (time) on...... date and is at present lodged in the......Jail. .... (place)."

इस लिए, अध्यक्ष महोदय, केवल सैक्शन देना, खण्ड देना, कानून की दफा बतलाना काफी नहीं हैं, रीजन्ज भी, वजूहात बतलाना पड़ता है — यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अब मेरे केस में क्या हुआ ? मुझे बड़ा अफसोस है, आज मैं दर्द और वेदना से बोल रहा हूं—यह एक गम्भीर मामला है, पार्टी का मामला नहीं है—दर्द और वेदना इस लिए है कि जब ता० 6 को मुझको गिरफ्तार किया गया तो सदन का सत्र ता० 11 से शुरू होने वाला था—मेज की किताब में बतलाया गया है कि 40 दिन पहले से—अर्थात् इम्यूनिटीज के लिए, संरक्षण के लिए, विशेषाधिकार के लिए जो मियाद है, उस समय के अन्दर—अर्थात् चार-पांच दिन के अन्दर इस सभा का सत्रप्रारम्भ होने वाला था, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी इस सदन के किसी भी सदस्य ने मुझे नहीं बचाया . . . . . .

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Save a criminal charge.

श्री मधु लिमये : मैं उस पर भी आ रहा हूं, अब इतना बेवकूफ नहीं हूं, जब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुक्ति पाई है। आप क्या बात कर रहे हैं ? ठीक है आपकी तरह एल० एल० बी० नहीं हूं, लेकिन एक साधारण सदस्य की बात सुन लीजिये।

श्री रा० डो० भण्डारे: मैंने बेवकूफ कभी नहीं कहा है। I only said:

"Save a criminal charge".

श्री मधु लिमये: मैं खुद यही बात एम्फेसाइज कर रहा था।

अब, अध्यक्ष महोदय, नियम 229 में सब से पहले कब इत्तिला मिली ? यह आपका नवम्बर, 8 का पार्ट II बुलेटिन है। हमारे यहां नियम है कि जब इस सदन का सत्र न हो रहा हो तो अध्यक्ष बुलेटिन पार्ट II के द्वारा इस बात को प्रकाशित करते हैं, जब सदन बैठता है तो आप स्वयं 12 बजे, प्रश्नोत्तर के बाद, यह इत्तिला सदन को देते हैं। ता० 8 को सदन नहीं था, इस लिए आपने बुलेटिन पार्ट II में छापा है। क्या छापा है ?

"Arrest of Shri Madhu Limaye
The following telegram, addressed to the Speaker, Lok Sabha, was received on the 7th November, 1968: —

'Monghyr,

Dated the 6th November, 1968.
This morning at 9 A.M. Shri Madhu Limaye, Member, Lok Sabha, along with 14 others arrested at Lakhisarai Railway Station in connection with violation of orders under Section 144 Cr. P.C.

Collector.' "

यह कलेक्टर से आया है।

अब, अध्यक्ष महोदय, पहला उल्लंघन 229 का देखिये —हमारा नियम क्या है ? कमिटिंग मैजिस्ट्रेट को इत्तिला देनी चाहिये। कलैक्टर मेरे केस में कमिटिंग मैजिस्ट्रेट नहीं है, उस का मेरे केस से सम्बन्ध नहीं है, यह वह जानता भी नहीं था कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नियम 229 का उल्लंघन कर के वह न केवल आपको इत्तिला देता है, बल्कि गलत इत्तिला देता है, जिससे 520 सदस्यों को गुमराह किया गया। सदन नेता को गुमराह किया गया, आपको गुमराह किया गया कलैक्टर को इत्तिला देने के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वह इत्तिला देता है और गलत इत्तिला देता है अ . . . में जो कमिटिंग मैजिस्ट्रेट था—कौन कमिटिंग मैजिस्ट्रेट ?—एस० डी० ओ० इन्चार्ज, मुंगेर, जिसने मुझे जेल की हिरासत में रखने का फैसला किया था, उस को तुरन्त इत्तिला देनी चाहिये थी, लेकिन उसने इत्तिला नहीं दी—यह दूसरा उल्लंघन हुआ।

[श्री मधु लिमये]

अब तीसरा उल्लंघन —जिन-जिन जेलों में मुझे रखा गया, वे जगहें आपको बतलानी चाहिये थीं, क्योंकि मुझे पत्र-व्यवहार करना पड़ता है और आप भी उत्तर दे सकते हैं। सब से पहले मुझे मुंघेर डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया, जहां तक बुलेटिन और लोक सभा की कार्यवाही से समझ पाया हूं, उस की कोई इत्तिला नहीं है....

MR. SPEAKER: There is another bulletin.

श्री मधु लिमये : वह भागलपुर का है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जेल की कोई इत्तिला नहीं है। उस के बाद मुझे भागलपुर भेज दिया गया और भागलपुर के जेल-सुपरिन्टेंडेंट ने जब मुझ से प्रेम से बात की तो मैंने उन को कहा कि मैं आपके हित में कहता हूं कि आपको ऐसी इत्तिला देनी पड़ती है, कृपा करके आप इत्तिला दीजिए ....

श्री शशि भूषण (खारगोन) : जेल में भी प्रेम करते हैं ?

श्री मधु लिमये : सब लोग करते हैं,कभी-कभी आप भी करते हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जेल सुप्रीन्टेन्डेन्ट का ध्यान जब मैंने इस ओर दिलाया, तब उसने आपको इत्तिला भेजी और अध्यक्ष महोदय, वही एक आदमी हैं, जिसने इस समूची कार्यवाही में आपको सही जानकारी दी, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। यह आपके नवम्बर 11 के बुलेटिन में छपी है, जिस दिन कि इस सत्र का प्रारम्भ हुआ था। कोई नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते, सदन नेता नहीं कह सकतीं कि नवम्बर, 11 को जब लोक सभा का सत्र शुरू हुआ, सदन के सामने सही जानकारी नहीं थी। भागलपुर के जेल सुप्रीन्टेन्डेन्ट ने बड़ा अच्छा काम किया—उन्होंने यह कहा कि ——

"The following wireless message, addressed to the Speaker, Lok Sabha, was received on the 10th November, 1968:—

Bhagalpur,

Dated the 10th November, 1968.

This is to inform the honourable Speaker, Lok Sabha, New Delhi that Shri Madhu Limaye, Member, Lok Sabha, has been received in this Jail on the 9th November, 1968 under the warrant for intermediate custody (Section 344 Cr. P.C.) and is charged under Section 151|107|177(3) Cr. P.C., by the S.D.O., Monghyr.

Superintendent, Central Jail, Bhagalpur (Bihar)."

उस के बाद यहां कई दफा सवाल उठाने पर आपने शायद गृह मंत्री जी को फरमाया कि आप कुछ जानकारी इकट्ठी करके बतलायें। असल में सही जानकारी मैंने आपको भेजी थी तथा उस में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो बहुत जरूरी कागज था, वह भी मैंने किसी तरह से प्राप्त करके आपको भेजा था—पुलिस रिमान्ड रिपोर्ट तथा मैजिस्ट्रेट का रिमान्ड आर्डर, आर्डर-शीट, जिसके बिना कोई फैसला नहीं हो सकता है। अब, अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री जी ने ता० 10 को—यानी लोक सभा शुरू होने के 8 दिन बाद तथ मेरी गिरफ्तारी के 13 दिन बाद —एक पोस्टमैन का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतना एक्सपेन्सिव पोस्टमैन, खर्चीला पोस्टमैन, हम को रखना चाहिए, जिसकी साढ़े चार हजार रूपये तनख्वाह हो.... ....

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 2250 रु० है।

SHRI PILOO MODY (Godhra): The Prime Minister knows his *tankha*.

श्री मधु लिमये: मेरे भाई, यह तो जाहिर बात है।

इन्होंने 6-7 लाइन का एक बयान दिया है। मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ढाई लाइन को देखिये जो मैं सिनोप्सिस आफ डिबेट्स से पढ़ कर सुनाता हूं —

"Shri Madhu Limaye was arrested under the direction of a

magistrate on duty on November 6, 1968 at Lekhisaria under Section 151|107 Cr. P.C. and Section 188 I.P.C."

अध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है और इस देश के दूसरे सदन भी जानते हैं कि मन्त्री लोग असत्य भाषण हमेशा किया करते हैं लेकिन अढ़ाई लाइन में तीन असत्य बातें यह एक मिनिस्टर के लिए भी उच्चांक, रिकार्ड है जोकि चव्हाण साहब ने स्थापित किया है। वे तीन असत्य बातें क्या हैं ? पहली बात यह है कि मेरी गिरफ्तारी "ऐट दि डायरेक्शन आफ दि मैजिस्ट्रेट" नहीं है। धारा 151 में मेरी गिरफ्तारी है। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि धारा 151, जाब्ता फौजदारी इस प्रकार है :—

"Arrest to prevent such offences.

A police officer—not a Magistrate—knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a Magistrate and without a warrant the persons so designing if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented."

जो मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पर जो गिरफ्तारी है वह जाब्ता फौजदारी के 64 और 65 सेक्शन में है जोकि मेरे खिलाफ नहीं है। इस लिए चव्हाण साहब का यह कथन कि मैजिस्ट्रेट के कहने पर मेरी गिरफ्तारी की गई, वह एक प्रकार से मेरी गैर-कानूनी गिरफ्तारी को कानूनी लिबास पहनाने का प्रयास है इसीलिए व कहते हैं कि मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर मेरी गिरफ्तारी की गई। लेकिन मुझ तो पुलिस अफसर ने धारा 151 में पकड़ा है।

MR. SPEAKER: We have also received a communication, a telegram, dated 8th November from Shri K. B. Mathur, Magistrate First-Class, Monghyr that he has been arrested under his orders.

श्री मधु लिमये : यानी गिरफ्तारी और कमिटमेंट जिस दिन हुआ उसके बाद ! तो यह तो आफ्टर थाट है, बाद में सोची हुई बात है।

MR. SPEAKER: It is all right; go ahead.

श्री मधु लिमये : मैं तो 6 तारीख की बात कर रहा हूं।

तो मैं कह रहा था कि 6 तारीख को जब 15 दिन का मुझे रिमान्ड हुआ तो वह एस० डी० ओ०, मुंगेर ने किया है और गिरफ्तारी 151 में है। चव्हान साहब ने 117 जाब्ता फौजदारी जिक्र न कर 188 ताजीराते हिंद का किया है। ये सारी बातें आपके सामने हैं इसलिए अब मैं इतैला वाली बात को छोड़ कर उस बात पर आता हूं जिसको लेकर भंडारे साहिब को बड़ी परेशानी है कि क्या मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज या आफेन्स है।... (व्यवधान) ...

तीन दफायें मेरे खिलाफ लगाई गई हैं। एक तो 151 है। इसमें कोई चार्ज, आफेन्स नहीं है। अगर पुलिस अफसर को ज्ञान होता है कि मैं कोई काग्निजेबिल, आफेन्स करने जा रहा हूं तो वह गिरफ्तार कर सकता है लेकिन उसमें कोई आफेन्स नहीं है। अब 107 है, कम्प्लेन्ट यानी अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है या ऐसी कोई खबर है तो शिकायत हो सकती है। अब यहां पर जज मुल्ला साहब बैठे हुए हैं, चटर्जी साहब भी जज हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर यहां कितना भाष्य हो चुका है कि 107 की तहत जो शिकायत की जाती है, यह क्रिमिनल चार्ज नहीं है, न यह अक्वीजेशन है और न कोई आफेन्स है। धारा 117 तो एंक्वायरी किस ढंग से की जाए, उसके बारे में है। इसलिए मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, कोई सब्सटेंटिव आफेंस नहीं है, न मेरी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की तहत है और न

[श्री मधु लिमये]

मेरे लिए कोई कन्विक्शन है ट्रायल के बाद: चार बातें हैं नियम में क्रिमिनल चार्ज, क्रिमिनल आफेन्स, कन्विक्शन और इम्प्रिजनमेन्ट अंडर ए वैलीडली इनैक्टेड ला प्रोवाईडिंग फार प्रिवेन्टिव डिटेन्शन, मतलब है प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट। इन चारों में से कोई चीज नहीं है। संविधान लागू होने के बाद 18 सालों में इस तरह का केस देखने में नहीं आया है। आज मेरे ऊपर यह बीता है। लेकिन इस देश में गैर-कांग्रेसी सरकारें भी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के भाई इस बात को भी समझें, जो मेरे ऊपर बीता है वही उनके ऊपर भी बीत सकता है। इसलिए इसमें कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी का कोई सवाल नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई गैर-कांग्रेसी सरकार आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है और मुझे उसकी इत्तला मिलती है तो सबसे पहले मैं रहूंगा आप लोगों के लिए लड़ने के लिए, इसमें कोई शुबहे की बात नहीं होनी चाहिए।

अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैंने जो सुझाव आपको दिया है, वह आपके विचारार्थ रखता हूं। मै कोई जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहता। अगर आपकी और नेता सदन की यह राय है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक इन्तजार किया जाए तो उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं है। इसलिए मैंने जो सुझाव दिया है उसे आपके और सदन के विचारार्थ रखता हूं। गृह मंत्री जी भी यह न समझें कि मैं कोई व्यक्तिगत बात उनके खिलाफ करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि गैर-कांग्रेसी सरकारों में कांग्रेसियों के विरुद्ध यही बात हो सकती है। इसलिए यह किसी पार्टी का सवाल न मान कर, समूचे सदन का सवाल है ऐसा माना जाये। यह एक अनोखा, यूनीक केस है इसलिए हम इस पर ठीक ढंग से सोचें।

मैंने जो प्रपोजल आपके सामने रखा है उसको सुना कर बैठ जाऊंगा। यह मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि जो है उसी को पढ़ रहा हूं :

"Refence by the Speaker under 227."

"That in exercise of the powers given to the Speaker under rule 227 the hon. Speaker should ask the Committee of Privileges, that after taking into consideration all the facts and records of the case of the arrest and detention of Shri Madhu Limaye in Bihar, it should give its findings on the following issues."

श्री शशि भूषण : सुप्रीम कोर्ट को राय देने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री मधु लिमये :

"(1) Whether sections 151, 107 and 117(3), under which Shri Madhu Limaye was arrested and remanded, relate to any criminal charge or criminal offence referred to in Rule 229."

मैं नहीं चाहता कि आप मेरी राय मानें बल्कि आप अपने विवेक से करें।

"(2) Whether the arrest and subsequent remands of Shri Madhu Limaye amounted to a breach of the Members' immunity from arrest 40 days before the beginning of the Session."

"(3) Whether his arrest and remands by the G.R.P.S. in-charge, Kiul, Bihar, and S.D.O. in-charge and S.D.O., Sadar Monghyr, Bihar, constitute a breach of privillage and contempt of the House."

"(4) Whether the Collector, who was not the committing Magistrate in this case, was required to send any intimation to...

the Speaker, whether he sent any wrong information to the House and was guilty of contempt.

"(5) Whether S.D.O. in-charge and S.D.O., Sadar Monghyr....

यह दो अलग अफ़सर हैं अध्यक्ष महोदय। एक को सेकेन्ड अफसर कहते हैं और एक को फर्स्ट अफसर कहते हैं। इसलिए गलतफहमी न हो।

"(5) Whether S.D.O. in-charge and S.D.O., Sadar Monghyr committed contempt by not sending intimation to the Speaker as required by rule 229."

"(6) Whether it is not the duty of the Home Minister to ascertain the truth or otherwise of the information relating to Members' arrest and detention, *especially* when the arrest . . ."

I want to underline the word 'especially'

"...*especially* when the arrest and detentions take place in union Territories and States which are under President's rule, and whether, in cases of *prima facie* breach of privilege or illegality, he should not intervene to secure Members' release or whether he should be allowed to act merely as a Postman."

"(7) Whether the Home Minister has in this case conveyed any wrong information to the House and has been guilty of contempt."

"The Committee should also make recommendations with regard to penal action, if any."

"The Committee may also make suggestions in respect of changes in relation to sending of intimation of arrest, etc., if necessary..."

"The Committee should make its report by 15th March, 1969.

"Shri Madhu Limaye be allowed to attend those meetings of the Committee which are devoted to the taking of evidence so that he can point out to the Chairman if and when false evidence is given to the committee."

कमेटी जब सोचेगी कि क्या निर्णय करना है, उस मीटिंग में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन चूंकि मेरे से संबंधित सारा मामला है इसलिए जब एविडेंस ली जायगी मैं बैठा रहूंगा, कोई गलत बात होगी तो सिर्फ चेयरमैन से कहूंगा। इतने से मुझे संतोष हो जायेगा।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा 107 पार्लमेन्ट के मेम्बरों पर लगाना उचित नहीं है....

MR. SPEAKER: It is an important matter no doubt. But, as Mr. Madhu Limaye himself pointed out, the Supreme Court is seized of it and they have asked him to produce himself there. I think, as suggested by him, and I am sure the Home Minister and the Leader of the House will agree, we will wait for this. I would certainly give it importance because, as he himself pointed out just now, it is not the concern of any particular party or the opposition. In this country there are bound to be different Governments in different States, belonging to different parties. Therefore, let us all consider it as a matter of policy, not one against the other. We should give serious thought, without giving a narrow political colour to it. Let the Supreme Court give the judgement. After that we shall consider it.

The House will adjourn now and meet at 2-20 P.M.

13.22 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

—